(129)

R30/-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा) (म0प्र0)

विनोद कुमार सिंह तनय श्री महाबली सिंह निवासी ग्राम टेढ़गवॉ तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0...निगराकार

III/निग0/सतना/भू0रा0/2017/2215

वनाम

दशरथ पिता बीरन मल्लाह निवासी ग्राम टेढ़गवॉ तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0 ....गैरनिगराकार/आवेदक

अधि0 श्री रविनाथ चतुर्वेदी द्वारा पेश/04-7-17

बरार्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व राजस्व निरीक्षक वृत्त कोटर तहसील कोटर के राजस्व प्रकरण कमांक 48अ12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत करता है–

प्रकरण के संछिप्त तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि गैरनिगराकार द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त कोटर के समक्ष मौजा टेढ़गवॉ तसहील कोटर की आराजी नम्वर 202/1, आ0नं0 203/1, आ0नं0 204/1 के सीमांकन वावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। राजस्व निरीक्षक वृत्त कोटर द्वारा सीमांकन दिनांक 22.11.2016 को किये जाने के संबंध में सरहद्दी कास्तकारों को सूचना जारी की गई थी किंतु सूचना दिनांक को कोई सीमांकन नही किया गया और न ही मौके पर कोई सीमांकन किया गया, राजस्व निरीक्षक कार्यालय में बैठकर गलत प्रतिवेदन गैरनिगराकर से प्रभावित होकर तैयार किया गया, जब निगराकार को यह जानकारी हुई कि नाप नही की गई किंतु बिना नाप के प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है तब निगराकार

//2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–निग/सतना/भू रा/2017/2215

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त कोटर तहसील कोटर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 48 अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 1–12–2016 के विरूद्व म.प्र.भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ राजस्व निरीक्षक वृत्त कोटर तहसील कोटर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 48 अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 1–12–2016 के सम्बन्ध में आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि सीमांकन दिनांक 22–11–16 के सम्बन्ध में सरहदी कास्तकारों को कोई सूचना नहीं दी गई, अपितु राजस्व निरीक्षक के कार्यालय में बैठकर अनावेदक से प्रभावित होकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई है, किन्तु आवेदक की ओर से प्रस्तुत नकल सूचना पत्र दिनांक 18–11–16 की प्रमाणित प्रतिलिपि अवलोकन से पाया गया है कि सूचना पत्र मेढ़िया कास्तकार राधो सिंह पुत्र दलवरण सिंह, बिनोद सिंह पुत्र महावली सिंह, कमलेश पुत्र अयोध्यासिंह के नाम जारी हुआ है जिस पर कमलेश सिंह, बिनोद सिंह एंव राघोसिंह के परिजन भागेन्द्र के हस्ताक्षर हैं। स्थल पर सीमांकन उपरांत पंचनामा तैयार किया गया है जिस पर छै ग्रामीणों के उपस्थिति के नाम अंकित है तद्नुसार दिनांक 22–11–16 को सीमांकन किया गया है। सीमांकन के समय मौके पर महावली सिंह, सत्यभान सिंह, भागेन्द्रसिंह, अशोक सिंह, छोटेलाल पटैल, इन्द्रजीत सिंह, रघुवर	

मल्लाह, सुनीता सिंह, दशरथ मल्लाह, श्रीराम केवट, शैलेन्द्र सिंह, सूर्यप्रताप सिंह ग्रामीणों के उपस्थित रहने का उल्लेख पंचनामा में है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक के इस तर्क पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि सरहदी कास्तकारों को कोई सूचना नहीं दी गई, और राजस्व निरीक्षक के कार्यालय में बैठकर अनावेदक से प्रभावित होकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में यह भी बताया है कि अनावेदक की भूमि के सीमांकन से आवेदक की भूमि जानबूझकर प्रभावित की गई है जबकि आवेदक की भूमि पूर्व से ही उसके स्वामित्व में है। यदि आवेदक विचाराधीन सीमांकन से स्वयं की भूमि प्रभावित होना समझता है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से सीमांकन करा सकता है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य